



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 4, 2019/ज्येष्ठ 14, 1941

No. 187]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 4, 2019/JYAISTHA 14, 1941

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 4 जून, 2019

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन)

विनियम, 2019

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/21.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 तथा धारा 30 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4, धारा 8क तथा धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. इन विनियमों को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2019 कहा जा सकेगा ।
2. इन विनियमों में अन्यथा विशेष रूप से जो प्रावधान किए गए हैं, उसके सिवाय, वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे ।
3. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 में,—
 - (i) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (छ) का लोप हो जाएगा ।

उपरोक्त संशोधन के बारे में यह समझा जाएगा कि यह 3 अक्टूबर, 2018 से प्रवृत्त (लागू) हुआ है।

(ii) विनियम 29 में, उप-विनियम (2) में,

क) खंड (क) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा:

“(क) सदस्य और मूल निपटान गारंटी निधि समिति (मेंबर एंड कोर सेटलमेंट गारंटी फंड कमेटी);”

ख) खंड (ख) में, शब्द “निवेशक” का लोप हो जाएगा।

(iii) विनियम 35 में, उप-विनियम (1) के पश्चात् तथा उप-विनियम (2) से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

“परंतु यह कि यदि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज एक से अधिक मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) के साथ करार करता हो, तो वह ऐसे मान्यताप्राप्त समाशोधन निगमों के साथ लिखित रूप में बहुपक्षीय करार (एग्रीमेंट) करेगा, ताकि समाशोधन निगमों के बीच पारस्परिकता (इंटरऑपरेबिलिटी) सुनिश्चित हो सके।”

(iv) विनियम 37 में, उप-विनियम (1) में, परंतुक का लोप हो जाएगा।

(v) विनियम 42 में, उप-विनियम (3) में, शब्दों और चिहनों “अनुच्छेदों / नियमों / उप-विधियों” के पश्चात् दिए हुए चिह्न और शब्द “/ विनियमों” का लोप हो जाएगा।

(vi) विनियम 43 के पश्चात् और विनियम 44 से पूर्व, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“कमोडिटी व्युत्पन्नियों के संबंध में समाशोधन निगम की बाध्यताएँ

43क. कमोडिटी व्युत्पन्नियों हेतु समाशोधन (क्लीयरिंग) और निपटान (सेटलमेंट) की सेवाएँ प्रदान करने वाला प्रत्येक मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) सौदों (ट्रेड्स) के निपटान हेतु गारंटी [सही सुपुर्दगी (गुड डिलिवरी) सहित] सुनिश्चित करेगा।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजनार्थ, “सही सुपुर्दगी” (गुड डिलिवरी) से उन वस्तुओं की सुपुर्दगी अभिप्रेत होगी, जो हक (टाइटल) का अंतरण (ट्रांसफर) करने के लिए उपयुक्त रूप में हों और जिनकी गुणवत्ता तथा मात्रा वही हो जैसा संबंधित एक्सचेंज की संविदा (कॉण्ट्रैक्ट) में उल्लेख हो।”

उपरोक्त संशोधन के बारे में यह समझा जाएगा कि यह 3 अक्टूबर, 2018 से प्रवृत्त (लागू) हुआ है।

(vii) अनुसूची-II में, भाग-ड में,

क) शीर्षक में, चिह्न और शब्द “/ विनियमों” का लोप हो जाएगा।

ख) खंड (2) में,

क. शीर्षक में, शब्दों और चिहनों “अनुच्छेदों / नियमों / उप-विधियों” के पश्चात् दिए हुए चिह्न और शब्द “/ विनियमों” का लोप हो जाएगा ।

ख. शब्दों और चिहनों “उप-विधियों (बाय-लॉज़)” के पश्चात् दिए हुए चिह्न और शब्द “, विनियमों” का लोप हो जाएगा ।

(viii) अनुसूची-II में, भाग-ज में, उप-शीर्षक “प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर) / कार्यपालक निदेशक (एग्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर):—” के अंतर्गत, खंड (1) में, निम्नलिखित शब्द और चिह्न “पुनःनियुक्ति किए जाने, या कार्यकाल बढ़ाने के मामले में, स्टॉक एक्सचेंज / समाशोधन निगम बोर्ड के पास, ऐसे प्रबंध निदेशक के अंतिम कार्य-दिवस से दो महीने पहले, आवेदन करेगा ।” निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएंगे, अर्थात्, —

“स्टॉक एक्सचेंज / समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) मौजूदा प्रबंध निदेशक के अंतिम कार्य-दिवस से दो महीने पूर्व बोर्ड को नए नाम भिजवाएगा ।”

(ix) अनुसूची-II में, भाग-ज में, शीर्षक “निदेशकों की नियुक्ति” के अंतर्गत, —

क) उप-शीर्षक “नियुक्ति की प्रक्रिया:—” से पूर्व, चिह्न “(I)” अंतःस्थापित किए जाएंगे;

ख) उप-शीर्षक “प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर) / कार्यपालक निदेशक (एग्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर):—” से पूर्व, चिह्न “(II)” अंतःस्थापित किए जाएंगे;

ग) उप-शीर्षक “लोक हित निदेशक:-” से पूर्व, चिह्न “(III)” अंतःस्थापित किए जाएंगे;

घ) उप-शीर्षक “शेयरधारक निदेशक” से पूर्व, चिह्न “(IV)” अंतःस्थापित किए जाएंगे;

ङ) उप-शीर्षक “शासी मंडल की सलाहकार समिति में व्यापारिक सदस्यों (ट्रेडिंग मेंबर्स) / समाशोधन सदस्यों (क्लीयरिंग मेंबर्स) का चयन:—” से पूर्व, चिह्न “(V)” अंतःस्थापित किए जाएंगे;

च) उप-शीर्षक “निदेशकों की नियुक्ति की सामान्य शर्त:-” से पूर्व, चिह्न “(VI)” अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन- III/4/असा./75/19]

पाद टिप्पण :

1. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/41, 3 अक्टूबर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 4th June, 2019

SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) (STOCK EXCHANGES AND CLEARING CORPORATIONS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2019

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/21.—In exercise of the powers conferred by sections 4, 8A and 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, read with sections 11 and 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, namely:—

1. These regulations may be called the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2019.
2. Save as otherwise specifically provided for in these regulations, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018,—
 - (i) in regulation 2, in sub-regulation (1), clause (g) shall be omitted.
The aforesaid amendment shall be deemed to have come into force with effect from October 3, 2018.
 - (ii) in regulation 29, in sub-regulation (2),
 - a) clause (a) shall be substituted with the following words:
“Member and Core Settlement Guarantee Fund committee;”
 - b) in clause (b), the word “investor” shall be omitted.
 - (iii) in regulation 35, after sub-regulation (1) and prior to sub-regulation (2), the following proviso shall be inserted, namely,—
“Provided that in case a recognised stock exchange enters into an arrangement with more than one recognised clearing corporation, it shall enter into a multipartite agreement in writing with such recognised clearing corporations to ensure interoperability among the clearing corporations.”
 - (iv) in regulation 37, in sub-regulation (1), the proviso shall be omitted.

- (v) in regulation 38, in sub-regulation (2), in the second proviso, the word "except" shall be omitted.
- (vi) in regulation 42, in sub-regulation (3), after the words and symbols "Articles/Rules/Bye-laws" the word and symbol "/Regulations" shall be omitted.
- (vii) after regulation 43 and prior to regulation 44, the following regulation shall be inserted, namely;-

"Obligation of Clearing Corporation in Commodity Derivatives

43A. Every recognized Clearing Corporation providing clearing and settlement services for commodity derivatives shall ensure guarantee for settlement of trades including good delivery.

Explanation: For the purpose of this regulation, "good delivery" shall mean the delivery of goods that is in proper form to transfer title and is of the quality and quantity as per contract specifications of the concerned exchange."

The aforesaid amendment shall deemed to have come into force with effect from October 3, 2018.

- (viii) in SCHEDULE - II, in PART - E,
- a) in the heading, the symbol and word "/Regulations" shall be omitted.
 - b) in clause (2),
 - a. in the heading, after the words and symbols "Articles/Rules/Bye-laws" the symbol and word "/Regulations" shall be omitted.
 - b. after the word "bye-laws" the symbol and word ", Regulations" shall be omitted.
- (ix) in SCHEDULE - II, in PART - H, under the sub-heading "Managing Director / Executive Director:—", in clause (1), the following words and symbols "In case of re-appointment, or extension of appointment, the stock exchange/clearing corporation shall apply to the Board two months before the last working day of such Managing Director." shall be substituted by the following, namely,—
- "The stock exchange/ clearing corporation shall forward the new names to the Board before two months from the last working day of the existing Managing Director."
- (x) in SCHEDULE - II, in PART - H, under the heading "Appointment of Directors",—
- a) the symbols "(I)" shall be inserted before the sub-heading "Procedure for appointment:—";
 - b) the symbols "(II)" shall be inserted before the sub-heading "Managing Director/ Executive Director:—";

- c) the symbols “(III)” shall be inserted before the sub-heading “Public Interest Directors:—”;
- d) the symbols “(IV)” shall be inserted before the sub-heading “Share Holder Directors”;
- e) the symbols “(V)” shall be inserted before the sub-heading “Selection of trading members/clearing members on the Advisory Committee to the governing board:—”;
- f) the symbols “(VI)” shall be inserted before the sub-heading “General conditions on appointment of directors:—”.

AJAY TYAGI, CHAIRMAN

[ADVT.-III/4/Exty./75/19]

Footnote:

1. The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 3rd October 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/41.